प्रकरण संख्या 09/2024 अनवान जसविन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार अ0धा0 136 एलआर एक्ट 88-209 आरटीएक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान –

01- जसविन्द्रकौर पुत्री रूपसिंह पत्नी जसवीर सिंह जाति छींपा निवासी 18 जी0बी0 हाल निवासी वार्ड नं. 09 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-वादीया-

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

-प्रतिवादी-

02- रणजीतसिंह पुत्र रूपसिंह जाति छींपा निवासी 18जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

-तरतीबी पक्षकार-

उपस्थिति- 01. श्री गुरविन्द्रसिंह क्वात्रा, वकील वादीया।
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 एलआरएक्ट)

राजस्व प्रकरण संख्या – 09/2024 निर्णय दिनांक – 20/12/24

(जी.सी.एम.एस.-2024/000130)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि – चक 18 जीबी तहसील श्रीविजयनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 50 में दर्ज का मु.न. 2 प.न. 169/395 का कि.न. 1 ता 12, 13/1 का 3.0370है. भूमि में रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह के नाम से 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार जमाबन्दी चक 18 जीबी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 51 में दर्ज मु.न. 2 प.न. 169/395 का कि.न. 13/2, 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24 /1, 25/1 व मुन. 1 प.न. 170/395 का कि.न. 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 का कुल 6.2010है. भूमि रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह का 2/63 हिस्सा व मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह 230/6201 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह व मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह खातेदार मुझ वादीया व तरतीबी पक्षकार के पिता व माता है। मुझ वादीया के पिता का सही नाम रूपसिंह पुत्र ज्ञानसिंह है किन्तु सहवन से जमाबन्दी में इनका नाम रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह अकित कर दिया गया है व मेरी माता का वास्तविक नाम गुरमीतकौर पत्नी रूपसिंह है जो जमाबन्दी में सहवन से मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह अंकित हो गया है। उपरोक्त रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह व रूपसिंह पुत्र ज्ञानसिंह तथा मनजीतकौर व गुरमीतकौर पत्नी रूपसिंह दौनो नाम का एक ही व्यक्ति है जो मेरे पिता व माता है। मुझ वादीया के पिता व माता का देहान्त हो चुका है देहान्त उपरांत वादीया एंव तरतीबी पक्षकार ही उनके प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है व उपरोक्त पैरा में दर्ज भूमि के बाबत समस्त खातेदारी अधिकार वादीया

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एंव तरतीबी पक्षकार में औद्य हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जाना शेष है । वादीया के द्वारा समय समय पर प्रतिवादी से सम्पर्क कर उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि जो कि वादीया के पिता व माता के नाम से दर्ज है व जिनका देहान्त हो चुका है को वादीया एंव तरतीबी पक्षकार के नाम से दर्ज करने के लिए निवेदन किया जाता रहा जिस पर प्रतिवादी के द्वारा इस हेतु आश्वासन दिया जाता रहा व समय व्यतित होता रहा है अब आज से अर्सा करीब एक सप्ताह पूर्व वादीया के द्वारा प्रतिवादी से पुनः सम्पर्क कर उक्त भूमि को वादीया एंव तरतीबी पक्षकार के नाम से दर्ज करने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में पिता के नाम में मामूली अन्तर होने के कारण से इस बावत माननीय न्यायालय में चाराजोही करने का कहकर उक्त कार्यवाही से इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है 5. यह कि वादीया के पिता का सही नाम रूपसिंह पुत्र ज्ञानसिह है व माता का नाम गुरमीतकौर पत्नी रूपसिंह है जबकि सहवन से राजस्व रिकार्ड में रूपासिह पुत्र ग्यानसिंह व मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह अकिंत हो गया है जो कि मात्र साधारण बोलचाल एंव लिखने के विभिन्न प्रकार होने से अकिंत हो गया है जबकि दौनो नाम का एक ही व्यक्ति मेरा पिता व माता है इसलिए वादीया व तरतीबी पक्षकार उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि के स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाते हुए रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह व मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह के नाम से दर्ज भूमि को राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वादीया के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव वादीया विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ उठाने से वंचित हो जावेगी व साथ ही आबयाना अदायगी, मामला अदायगी व भूमि काश्त में अनेक प्रकार की असुविधाए होगी जबकि उपरोक्त भूमि को वादीया एंव तरतीबी पक्षकार के नाम से दर्ज किया जाने पर प्रतिवादी के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। यह कि तरतीबी पक्षकार के हित वादीया के समान ही है किन्तु आज रोज वाद पेश करने के लिए उपस्थित नहीं है इसलिए बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है ।

अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि

1- भूमि चक 18 जीबी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 50 व खाता रा 51 में दर्ज रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह व मनजीतकौर पत्नी रूपासिह का दर्ज हिस्सा जिनका वास्तविक नाम रूपसिंह पुत्र ज्ञानसिंह व गुरमीतकौर पत्नी ... है जो जमाबन्दी में रूपासिंह पुत्र ज्ञानसिंह व मनजीतकौर पत्नी रूपासिंह अ... दर्ज हिस्सा की भूमि का वादीया एंव तरतीबी पक्षकार को खातेदार ... घोषित किया जाकर मुताबिक ... तरतीबी पक्षकार के नाम से दर्ज किये डिक्री राजस्व रिकार्ड में ... जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 18 जीबी के खाता संख्या 40, 50 तथा 51 में वादी रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 09/2024 रूपसिंह मनजीत कौर बनाम राजस्थान सरकार अ0धा0 136 एलआर एक्ट 88-209 अन्तर्गत

का नाम जरिये इं0न0 663 दिनांक 21.08.2013 विरासतन से मुताबिक ग्राम पंचायत 17 जीबी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज होकर आदिनांक तक चला आ रहा है। वादिया गुरमीत कौर पत्नी रूपसिंह का नाम जरिये इं0न0 423 दिनांक 20.09.2014 विरासतन से दर्ज होकर मनजीत कौर पत्नी रूपसिंह दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। वादीया रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह के स्थान पर रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह तथा मनजीत कौर पत्नी रूपसिंह के स्थान पर गुरमीत कौर पत्नी रूपसिंह राजस्व रिकार्ड में जरिये वाद दुरूस्त करवाना चाहते है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज परिवार के जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह तथा गुरमीत कौर पत्नी रूपसिंह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत 17 जी0बी0 पंचायत समिति श्रीविजयनगर की रिपोर्ट के अनुसार रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह तथा गुरमीत कौर पत्नी रूपसिंह सही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::-क्रियान्वयन आदेश ::-

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 18 जीबी तहसील श्रीविजयनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 50 में दर्ज का मु.न. 2 प.न. 169/395 का कि.न. 1 ता 12, 13/1 का 3.0370है. एवं चक 18 जीबी सम्वत् 2073-2076 का खाता सं. 51 में दर्ज मु.न. 2 प.न. 169/395 का कि.न. 13/2, 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24 /1, 25/1 व मुन. 1 प.न. 170/395 का कि.न. 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 का कुल 6.2010 हैक्टर रकबा के राजस्व रिकार्ड में रूपासिंह पुत्र ग्यानसिंह के स्थान पर रूपसिंह पुत्र ग्यानसिंह एवं मनजीतकौर पत्नी रूपासिह के स्थान पर गुरमीतकौर पत्नी रूपसिंह अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 20.12.24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner